माननीय न्यायमूर्ति म. म. कुमार व टी. पी. एस. मान के समक्ष

हरियाणा राज्य और अन्य *-अपीलकर्ता*

बनाम

नसीब, *-प्रतिवादी*

एलपीए न. 2010 की 1191

2009 की सीडब्ल्यूपी नंबर 14795 में

8 फरवरी, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 - S.47(2) - अस्थायी कांस्टेबल के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित - क्या वर्णांधता वाला उम्मीदवार कांस्टेबल-हेल्ड के रूप में नियुक्त होने का हकदार है, कोई सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल को विभिन्न कार्य करने होंगे और वर्णांधता उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी- अपील की अनुमति, एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया गया।

अभिनिर्णित किया जाता है कि, नीरज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि भारत संघ *बनाम* सत्य प्रकाश वशिष्ठ के मामले में, चयन और नियुक्ति दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) के पद पर की जानी थी। यह कल्पना करने के लिए बहुत कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि कार्यकारी कैडर सामान्य ड्यूटी कैडर या आईआरबी

कैडर से अलग है। कार्यकारी कैडर के सदस्य मंत्रिस्तरीय कार्य करते हैं और याचिकाकर्ता की तरह एक उम्मीदवार का रंग अंधापन, उनके कर्तव्य के प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आ सकता है। सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल को विभिन्न कार्य करने होते हैं और वर्णांधता निश्चित रूप से उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी।

(पैरा 2)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47(2) निशक्तता को पदोन्नति के लिए स्वत अयोग्यता बनाए जाने पर रोक लगाती है लेकिन यदि निशक्तता किसी उच्चतर पद पर कार्य निष्पादन या प्रदर्शन के निर्वहन को प्रभावित करती है या यदि विकलांगता सह-कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है तो स्थिति अलग है। जनता या कर्मचारी के सदस्य स्वयं, या नियोक्ता की संपत्ति और उपकरण के लिए। एक बार तथ्यों और कानून में उपरोक्त स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 2)

अमन चौधरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा- अपीलकर्ताओं के लिए।

प्रतिवादी के लिए *अभिषेक यादव, अधिवक्ता।*

एम.एम. कुमार, जे.

(1) लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत दायर तत्काल अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 4 मार्च, 2010 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि वह कलर ब्लाइंड है, वह अपीलकर्ता विभाग में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त होने का हकदार होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस धारणा पर कार्यवाही की है कि रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने कार्यकारी कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जबकि 24 मई, 2006 के विज्ञापन (अनुबंध पी 1) के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदन अस्थायी पदों, कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) को भरने के लिए आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन से कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि विज्ञापित 3700 पद कार्यपालक कांस्टेबल के पद के लिए थे। तदनुसार, भारत संघ *बनाम* सत्य प्रकाश वशिष्ठ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विद्त एकल न्यायाधीश का भरोसा पूरी तरह से गलत है। 28 अक्टूबर, 2010 को तय किए गए 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 17339 (नीरज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में, जो इस तथ्य के समान है, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने उपरोक्त निर्णय को निम्नानुसार देखा है: -

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का वर्तमान मामले के तथ्यों

पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। वहां सब इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) दिल्ली पुलिस के पद पर चयन और नियुक्ति की मांग की गई थी। यह सर्वविदित है कि कार्यकारी कैडर सामान्य ड्यूटी कैडर या आईआरबी कैडर से अलग है। कार्यकारी संवर्ग के सदस्य मंत्रिस्तरीय कार्य करते हैं और वर्णांधता उनके कर्तव्य के प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आ सकती है। सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल या आईआरबी कांस्टेबल को विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं और रंग अंधापन निश्चित रूप से उनके कर्तव्य के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए, हमें **सत्य प्रकाश वशिष्ठ** (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले के आधार पर विवाद में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

(2) उपर्युक्त पैरा के अवलोकन से पता चलता है कि सत्य प्रकाश वशिष्ठ (सुप्रा) के मामले में, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) के पद पर चयन और नियुक्ति की मांग की गई थी। यह कल्पना करने के लिए बहुत कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि कार्यकारी कैडर सामान्य ड्यूटी कैडर या आईआरबी कैडर से अलग है। कार्यकारी कैडर के सदस्य मंत्रिस्तरीय कार्य करते हैं और याचिकाकर्ता की तरह एक उम्मीदवार का रंग अंधापन, उनके कर्तव्य के प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आ सकता है। सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल को विभिन्न कार्य करने होते हैं और वर्णांधता निश्चित रूप से उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। उस संबंध में, नीरज के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी पर भरोसा किया है

भारत संघ *बनाम* देवेंद्र कुमार पंत और अन्य (2). निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47(2) के उपबंध का उल्लेख करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि धारा 47(2) निशक्तता को स्वत पदोन्नति के लिए अयोग्यता बनाए जाने पर रोक लगाती है लेकिन यदि निशक्तता किसी उच्चतर पद पर कार्य निष्पादन या निष्पादन को प्रभावित करती है या यदि विकलांगता सह-कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है तो स्थिति भिन्न है। जनता या कर्मचारी के सदस्य स्वयं, या नियोक्ता की संपति और उपकरणों के लिए। एक बार तथ्यों और कानून में उपरोक्त स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा